**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1191

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**जेल में कैदियों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाना**

**1191. श्री रंजिब बिस्वालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय जेल में कैदियों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाए जाने की संभावना तलाश रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय या जेल प्राधिकारियों से सीधे परामर्श किया है और यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही प्रायोगिक आधार पर चंडीगढ़ जेल में चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की व्यवस्था का क्या परिणाम रहा है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को दिनांक 23.10.2018 के पत्र के तहत परामर्श दिया गया है कि मिड-डे मील योजना (एमडीएमएस) के तहत भोजन तैयार करने में स्‍थानीय जेलों की सेवाएं लिए जाने की संभावनाओं का पता लगाएं। इस संबंध में गृह मंत्रालय से बातचीत नहीं की गई है।

(घ) और (ड.): एमडीएमएस के तहत चंडीगढ़ में प्रायोगिक आधार पर ऐसी कोई व्‍यवस्‍था नहीं चल रही है। तथापि, चंडीगढ़ संघ राज्‍य क्षेत्र ने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत भोजन तैयार करने के लिए स्‍थानीय जेल को कार्य सौंपा गया है। चंडीगढ़ समाज कल्‍याण विभाग ने 01.04.2017 से आईसीडीएस के तहत 100 आंगनवाड़ी केंद्रों और भारतीय बाल कल्‍याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे 46 केंद्रों में पोषण युक्‍त अनुपूरक भोजन प्रदान करने के लिए जेल प्राधिकारियों को इस कार्य में लगाया है।

**\*\*\*\*\***